



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

# प्रेस विज्ञप्ति

संख्या—cm-130  
08/03/2017

बिहार में नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई पहल  
हुये हैं :- मुख्यमंत्री

पटना, 08 मार्च 2017 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज रविन्द्र भवन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार प्रदेश जनता दल यू0 महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय महिला सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष कंचन कुमारी गुप्ता एवं उनकी पूरी टीम को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस शानदार आयोजन के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार में नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई पहल हुये हैं। बिहार पहला राज्य है, जहाँ महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में पचास प्रतिशत आरक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रावधान था कि पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिये सुरक्षित किये जायेंगे। जब 2005 में उनकी सरकार बनी तो कुछ माह बाद त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव होना था। एक बात मेरे मन में आयी कि संविधान में कम से कम एक तिहाई की बात है, अधिक से अधिक नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आबादी आधी है तो हमलोगों ने पचास प्रतिशत आरक्षण दिया और बिहार पंचायती राज संस्थाओं में पचास प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना। पुनः 2007 में नगर निकायों का चुनाव हुआ तो उसमें भी पचास प्रतिशत स्थान आधी आबादी के लिये सुरक्षित किया गया। जब चुनाव हुये तो चुनी गयी महिलाओं की संख्या पचास प्रतिशत से भी ज्यादा थी। पंचायती राज संस्थाओं में पचास प्रतिशत आरक्षण देने का बिहार के निर्णय का कई राज्यों ने अनुसरण किया है और अब केन्द्र सरकार भी इस विषय पर सोच रही है। यह बिहार की पहल थी, जिसका असर पूरे देश पर पड़ा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में पचास प्रतिशत आरक्षण देने के बाद प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में भी पचास प्रतिशत आरक्षण का लाभ महिलाओं को दिया गया। बिहार पहला राज्य है, जहाँ पुलिस सेवा में कांस्टेबल एवं अवर निरीक्षक की बहाली में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ महिलाओं को दिया गया। पुलिस बल की नियुक्ति में सर्वाधिक आरक्षण देने वाला भी बिहार पहला राज्य बना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में चुनाव के पूर्व सात निश्चय को महागठबंधन के साझा कार्यक्रम में शामिल किया गया था। सात निश्चय के कार्यक्रमों में एक निश्चय बिहार सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का था। नवम्बर 2015 में सरकार बनी और सरकार बनने के दो महीने के भीतर बिहार सरकार की सभी सेवाओं की नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान लागू कर दिया गया। अब महिलाओं को सरकारी सेवाओं में ज्यादा संख्या में आने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में महिला सशक्तिकरण एवं नारी सशक्तिकरण के लिये नीति भी बनायी गयी है। उन्होंने कहा कि महिला जन प्रतिनिधि बनने से माहौल बदल गया। पहले महिलायें धार्मिक उत्सव, मेला, शादी विवाह इत्यादि में ही घर से बाहर निकलती थी। अब महिलायें भारी संख्या

में जन प्रतिनिधि होने के बाद प्रखण्ड जाती हैं और जिला मुख्यालय जाती हैं। इससे महिलाओं में जागृति आयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम 2005 में सता में आये तो साढ़े बारह प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर थे। इसके लिये अनेक कदम उठाये गये। उन्होंने कहा कि 5वीं कक्षा तक तो लड़कियाँ स्कूल जाती थी किन्तु 5वीं के बाद लड़कियों की संख्या कम हो जाती थी। उन्होंने महसूस किया और इसका आकलन किया। उन्होंने कहा कि 6ठीं कक्षा में पहुँचने पर लड़कियों की उम्र ऐसी हो जाती है कि उन्हें उपयुक्त वस्त्र चाहिये। अधिकांश माता-पिता गरीबी के कारण वस्त्र नहीं दे पाते थे और लड़कियों का स्कूल जाना बंद हो जाता था। हमलोगों ने बालिका पोशाक योजना शुरू की, इसका तत्काल फायदा हुआ और बड़ी संख्या में लड़कियाँ स्कूल जाने लगी। इसके पश्चात हमने बालिका साइकिल योजना शुरू की। इस पर शुरू में कहा गया कि जब लड़कियाँ साइकिल चलायेंगी तो लोग लड़कियों पर फट्टी कसेंगे। उन्होंने कहा कि हमने उसी समय कहा कि हर परिवार की लड़की के लिये ऐसा कर रहे हैं तो इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उसी समय यह भी कहा कि लड़कियों को मार्शल आर्ट, जूडो कराटे का प्रशिक्षण देंगे। जिस समय यह योजना शुरू हुयी, उस समय 9वीं कक्षा में एक लाख 70 हजार से कम लड़कियाँ थी और आज योजना लागू होने के बाद 9वीं कक्षा में नौ लाख से ज्यादा लड़कियाँ पढ़ रही है। यह मामूली उपलब्धि नहीं है। हर गाँव से लड़कियाँ झुंड में साइकिल चलाते हुये स्कूल जा रही है। पहले पटना शहर में भी लड़कियाँ साइकिल नहीं चलाती थी। अब जब सब घर से समूह में साइकिल से लड़कियाँ स्कूल जाने लगी तो सोच बदल गया, यह कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। लड़कियों के अरमानों को पंख लग गये तो सोचने लगे कि हम भी आगे जा सकते हैं। आज उसका परिणाम भी दिखने लगा है। लड़कियों का परीक्षाफल लड़कों की तुलना में बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हम बिना महिलाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल किये देश को बढ़ा रहे थे, अब जब उनके साथ देश बढ़ेगा तो समझिये कि हम कितना आगे जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एवं तरक्की और उन्हें सशक्त बनाने के लिये बिहार में एक नहीं अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। जो कुछ किया है, उसे बताने लगेगे तो वक्त लगेगा। बालिका प्रोत्साहन योजना समेत कई योजनायें चल रही है। मैं उसकी अभी चर्चा करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में निरंतर जन चेतना जगाने के लिये कोशिश करते रहनी होगी। निरंतर आवाज उठाना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की माँग पर शराबबंदी लागू की गयी। 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण शराबबंदी लागू की गयी। माहौल ऐसा बना कि गाँव और शहर दोनों में 5 अप्रैल 2016 से पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गयी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू करने के पूर्व सशक्त अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि नवम्बर में निश्चय यात्रा के क्रम में चेतना सभा में भी शराबबंदी एवं नशाबंदी के संबंध में संदेश दिया गया। जीविका की दीदीयों ने जबर्दस्त चेतना जगायी। 21 जनवरी 2017 को शराबबंदी एवं नशामुक्ति के लिये मानव श्रृंखला बनी। शराबबंदी से नशामुक्ति की ओर जाने के संबंध में लोगों का जो सहयोग मिला, वह इससे स्पष्ट है कि उम्मीद थी कि दो करोड़ लोग मानव श्रृंखला में भाग लेंगे किन्तु चार करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि दो महीने से शराबबंदी एवं नशामुक्ति का अभियान गाँव-गाँव में चल रहा है किन्तु मनुष्य का स्वभाव है। कुछ धंधेबाज धंधे में लगे रहते हैं और रोज पकड़े जा रहे हैं। पुलिस एवं उत्पाद विभाग के लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं किन्तु आप जागृत रहें और यह भी देखें कि शराबबंदी के बाद कोई दूसरा मादक पदार्थ की ओर तो लोग नहीं जा

रहे हैं। इस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। इस मामले में एक क्षण के लिये भी सतर्कता में कमी नहीं आने दीजिये। यह राह कठिन है, सड़क जब घुमावदार एवं चढ़ाई वाली रहती है तो वहाँ बोर्ड पर लिखा होता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। उन्होंने कहा कि नशामुक्ति की राह साधारण राह नहीं है। सावधान रहना होगा। बाल विवाह एवं अन्य कुप्रथाओं के प्रति जागृत रहना होगा और इसके लिये शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव विकास मिशन के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार लाये गये हैं। शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण इत्यादि पर ध्यान देकर एवं कार्यक्रम बनाकर इसे लागू किया गया और उसका सघन अनुश्रवण किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में वर्ष 2005-06 में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार नवजात बच्चों में 61 थी। जब प्रयत्न किया गया तो अभी एक हजार नवजात बच्चों पर शिशु मृत्यु दर 48 हो गया, उसी प्रकार पाँच साल से कम आयु में प्रति एक हजार बच्चों में मृत्यु दर 2005-06 में 84 था, जो घटकर आज 58 हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लिंग अनुपात जन्म के समय में 2005-06 में प्रति एक हजार पर 893 था, जो 2015-16 में बढ़कर 934 हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत का औसत 919 है और यह आँकड़ा पूरे देश से भी बेहतर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में यदि लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर दो है और लड़की 12वीं पास है तो प्रजनन दर 1.6 है, जबकि देश का औसत 1.7 है। हमने तय किया कि हम हर बच्ची को 12वीं तक पढ़ायेंगे और हर पंचायत तक प्लस टू तक के विद्यालय खोले जायेंगे और इस पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिशु मृत्यु दर घटा है किन्तु मेल चाइल्ड का ज्यादा घटा है और फिमेल चाइल्ड का कम घटा है। उन्होंने कहा कि समाज में लोग लड़कों का इलाज ठीक से कराते हैं और लड़कियों के इलाज पर कम ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि आज आपसे यही अपेक्षा है कि घर-घर जाइये और प्रचार कीजिये कि चाहे लड़का हो या लड़की किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर उसका तुरंत इलाज करायें। उन्होंने कहा कि 1 मार्च को हमने बेटी बचाओ रथ को रवाना किया है। उन्होंने कहा कि अगर बेटा का इलाज अच्छी तरह हो तो बेटी के पैदा होने पर भी उसी तरह का इलाज होना चाहिये। नवजात शिशुओं के इलाज के लिये अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री ने हर बच्चे का टीकाकरण कराने एवं जन्म होने पर पंजीकरण कराने, आधार कार्ड बनवाने हेतु प्रचार करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं में जागृति आयी है। नारी सशक्तिकरण के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है। इस अवसर पर जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष कंचन कुमारी गुप्ता ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिह्न भेंट किया।

इस अवसर पर समारोह को समाज कल्याण मंत्री श्रीमती मंजू वर्मा, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक श्री श्याम रजक, जदयू महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कंचन कुमारी गुप्ता, विधान पार्षद एवं जदयू प्रवक्ता श्री संजय सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक श्रीमती रंजू गीता, विधायक श्रीमती पूनम देवी यादव, विधायक श्रीमती गुलजार देवी, विधायक श्रीमती बीमा भारती, विधान पार्षद श्रीमती रीना यादव, विधान पार्षद श्री ललन सर्राफ, पूर्व सांसद श्रीमती अश्वमेध देवी, पूर्व विधायक श्रीमती मंजू देवी सहित श्रीमती भारती मेहता, श्रीमती शकुन्तला देवी, श्रीमती अंजूम आरा एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आयी महिला जन प्रतिनिधिगण एवं अन्य सम्मानित महिलायें उपस्थित थीं।

\*\*\*\*\*